

कार्यालय जिलाधिकारी / लाईसेंस प्राधिकारी, फर्रुखाबाद।

संख्या:

/ जि0आ0आ0 / फर्रुखाबाद / व्यवस्थापन / ई-टेंडर / 2019-20 / दिनांक: मई, 2019

ई-टेंडर सम्बन्धी विज्ञापित

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पांचवे चरण दिनांक 16.04.2019 को ई-टेंडर के पश्चात अवशेष विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन के पत्र संख्या 1049 ई-2/तेरह-2019-02/2018 लखनऊ दिनांक 16.05.2019 व कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2544/ सी0ई0ओ0-1 / लखनऊ दिनांक 2019 क क्रम में निर्गत आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज के कार्यालय पत्र संख्या 5581-5656/दस-लाईसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2019-2020 दिनांक प्रयागराज मई, 16 2019 के क्रम में अद्यतन अव्यवस्थित मदिरा की फुटकर दुकानों का वर्ष 2019-20 हेतु छठे चरण का व्यवस्थापन ई-टेंडर/ऑफर के माध्यम से दिनांक 17.05.2019 से दिनांक 25.05.2019 के मध्य ई-टेंडर/ऑफर के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाएगा। तत्क्रम में ई-टेंडर/ऑफर हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-

1- ई-टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित दुकान की प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 अनिवार्य रूप से एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उप आबकारी आयुक्त (लाईसेंसिंग) सहायक लेखाधिकारी उ0प्र0 एक्ससाइज (DEC L AND AAO UPEXCISE PRAYAGRAJ) के पदनाम से पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खण्ड लखनऊ स्थित बचत खाता संख्या **4483000100050375** में जमा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक लखनऊ शाखा का आई0एफ0एस0सी0कोड PUNBO448300 है। धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जाएगी। बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय होना चाहिये।

प्रोसेसिंग शुल्क जी0एस0टी0 के आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा किये गये भुगतान की बैंक रसीद एवं पूर्व निर्धारित आवश्यक प्रपत्र यथा साल्वेंसी प्रमाण पत्र अथवा आयकर बैल्युअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, आदि प्रपत्र भी स्कैन करके ई-टेंडर पोर्टल के टैबिनकल विड सेक्शन में अपलोड करना आवेदक के लिए अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी ई-टेंडर पोर्टल के फाईनेशियल विड सेक्शन में अपलोड की जाएगी।

ई टेंडरिंग कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्मिलित होने के इच्छुक आवेदक प्री विड मीटिंग दिनांक 20.05.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे एन0आई0सी0 में सम्मिलित हो सकते हैं शेष शर्तें व अर्हताएं पूर्ववत हैं।

जनपद की एक मात्र विदेशी मदिरा, दुकान के ई-टेंडर के छठे चरण में व्यवस्थापन हेतु विवरण निम्नवत् है:-

विदेशी मदिरा-

क्र0सं0	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रतिभूति धनराशि	धरोहर धनराशि
1	द्विलावल चौराहा	ग्रामीण	495000	49500	49500
	योग		495000	49500	49500

पंचम चरण के बाद अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्पूर्ण भारतवर्ष के निवासियों से ऑनलाइन ई-टेंडर/आफर आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

1	Tender publishing date	17-05-2019 at 15.30
2	Document download start date	17-05-2019 at 15.30
3	Document download end date	25-05-2019 at 09.00
4	Pre bid meeting date	20-05-2019 at 11.00
5	Bid submission start date	17-05-2019 at 17.30
6	Bid submission closing date	25-05-2019 at 09.30
7	Technical bid opening date	25-05-2019 at 10.00
8	Financial bid opening date	25-05-2019 at 16.00
9	The place of bid opening	Collectrate, Sabhagar, Farrukhabad
10	Tender inviting officer	Collector

ई-टेंडर/ऑफर हेतु आबकारी दुकानों की निर्धारित/देय प्रोसेसिंग फीस, एम.जी.क्यू, बेसिक/लाईसेंस फीस, जी.एस.टी./वैट, धरोहर धनराशि, प्रतिभूति धनराशि की सूचना उपरोक्त पोर्टल पर तथा जनपद

vyasthapan 19-20

(Handwritten signature)

फर्रुखाबाद की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। ई-टेण्डर/ऑफर से सम्बन्धित प्रेक्षाओं के समाधान के लिये आवेदक कार्यालय जिला आवकारी अधिकारी फर्रुखाबाद अथवा क्षेत्रीय आवकारी निरीक्षकों से उनके मोबाईल नम्बर 9454466321, 9454466322, 9454466323 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नोट-दिनांक 01.01.2018 के पश्चात निर्गत विदेशी मदिरा लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि/अधिक धनराशि के हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

Ute Lal Vashy
(टी0 आर0 वैश्य) 17/5/19
जिला आवकारी अधिकारी,
फर्रुखाबाद।

Ute Lal Vashy
(मौनिका रानी)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,
फर्रुखाबाद।

संख्या: 221 / तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्न को इस आशय से कि विज्ञप्ति को अपने दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दर व स्थान में आगामी अंक में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

- 1-सम्पादक "अमर उजाला" दैनिक समाचार पत्र फर्रुखाबाद।
- 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

Ute Lal Vashy
(टी0 आर0 वैश्य) 17/5/19
जिला आवकारी अधिकारी,
फर्रुखाबाद।